रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275138
CG-DL-E-03082026-275138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4082]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948
No. 4082]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4258(अ).— जबकि, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के तहत जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का. आ. 4174(अ), दिनांक 27 दिसंबर, 2016 द्वारा तेलंगाना राज्य में स्थित नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 167 को तेलंगाना राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसमें आगे ''नियम'' के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 167 के कवलाकुर्थी से मल्लेपल्ली खंड के डिजाइन किमी 66.900 से किमी 113.905 तक के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के 34.02 किमी लंबाई (तालिका-2) के निवल सड़क खंड और 2.300 किमी [(0.230 किमी की लंबाई वाली) (तालिका-3)] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% दर पर तथा पवेद शोल्डर सहित दो लेन के 1.650 किमी लंबाई के बाईपास (तालिका-4) के लिए आधार दर के 90% दर पर और चार या अधिक लेन के 11.02 किमी लंबाई (तालिका-2) की निवल सड़क खंड और 0.850 किमी (0.085 किमी की लंबाई वाली) (तालिका-3) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% दर पर, नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस

उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-।	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस का आधार दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छ: धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत की जाने वाली फीस ऐसे फीस प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित फीस प्लाजा में देय और संदेय होगी:-

तालिका – 2		
फीस प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
तेलंगाना राज्य के नागरकुरनूल जिले में चरकोंडा गांव के निकट एनएच-167 के किमी/चैनेज 80.900 पर	34.02	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	11.02	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित फीस प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका – 3			
फीस प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
तेलंगाना राज्य के नागरकुरनूल जिले में चरकोंडा गांव के निकट एनएच-167 के किमी/चैनेज 80.900 पर	0.230^	2.300	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	0.085^^	0.850	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^दो लेन संरचना का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	84.670	84.820	बड़ा पुल	0.150
2	103.684	103.764	बड़ा पुल	0.080
Total				0.230

^^चार लेन संरचना का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	110.237	110.332	बड़ा पुल	0.085
कुल				0.085

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे फीस प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित फीस प्लाजा पर 10 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी :-

तालिका - 4

फीस प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास का नाम	शुरू होने वाला	मिलने वाला	बाइपास की लंबाई और लागत, जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर, जिस पर फीस संदेय है
तेलंगाना राज्य के नागरकुरनूल जिले में चरकोंडा गांव के निकट एनएच-167 के किमी/चैनेज 80.900 पर	चरकोंडा बाईपास	डिजाइन किमी 83.600	डिजाइन किमी 85.400	1.650 किमी [60 मीटर से अधिक संरचना की लम्बाई को छोड़कर	लागत - 10.80 Cr.	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए आधार दरों का 90%

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और फीस प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.00 रु. (तीन सौ साठ रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5

भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. फीस प्लाजा की अवस्थिति वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत **239.214 करोड़ रु**. है। भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों के रूप में, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है, क्योंकि यह कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एचवाईडी/जेबी-35/एनएच (ओ)/कोऑर/ई-183438]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4258(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 4174(E) dated 27th December 2016 issued under section 5 of the National Highway Act 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the new National Highway number 167 in the State of Telangana to the Government of Telangana.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate 60% of rate specified in Column (2) of the Table 1 for net road section length of 34.02 km[Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 2.300 km (having length of 0.230 Km[Table-3]) and at 90% of the base rate for bypass of length 1.650 Km[Table-4] for the use of two lane with paved shoulders and at 100% of rate specified in Column (2) of the Table 1 for net road section length of 11.02 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 0.850 km (having length of 0.085 km [Table-3]) for the use of four lane or more on the type of vehicle specified in column (1) of the Table-1 below, of Kalwakurthy to Mallepally Section from design kilometer 66.900 to kilometer 113.905 of National Highway number 167 in the state of Telangana and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table – 1	
(1)	(2)
Type of Vehicle	Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 (in Rupees)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi axle Vehicle (MAV) (Four to Six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table – 2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is Payable
At Km/Ch. 80.900 of NH-167 Near Charakonda Village in Nagarkurnool District of Telangana State	34.02	60% of base rates mentioned in table-1 above for two lane with paved shoulders
	11.02	100% of base rates mentioned in table-1 above for four or more lane

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10: -

Table – 3			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which Fee is Payable
At Km/Ch. 80.900 of NH-167 Near Charakonda Village in Nagarkurnool District of Telangana State	0.230^	2.300	60% for two lane with paved shoulder, of base rates mentioned in Table-1 above
	0.085^^	0.850	100% for four or more lane, of base rates mentioned in Table-1 above

^The details of two lane structure are as under:-

Sl. No	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	84.670	84.820	Major Bridge	0.150
2	103.684	103.764	Major Bridge	0.080
Total				0.230

^^The details of four lane structure are as under: -

Sl. No	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	110.237	110.332	Major Bridge	0.085
Total				0.085

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing more than Rs. 10 crore or more at the following fee plaza for net bypass length specified for such Fee plaza(s):

Table 4

Location of Fee Plaza (Chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and cost of bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
At Km/Ch. 80.900 of NH-167 Near Charakonda Village in Nagarkurnool District of Telangana State	Charakonda Bypass	Design Km 83.600	Design Km 85.400	1.650 Km [Excluding length of structure(>60 m)]	10.80 Cr.	90% for two lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1 above

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 360/- (Rupees Three Hundred and Sixty only) for the year 2026-27 which is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table – 5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per the definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of Fee per kilometer for the base year 2007-2008 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 239.214 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc., are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RW/HYD/JB-35/NH(O)/Cor/E-183438]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA